[श्री जवाहर लाल नेहरू]

बात यह है कि कुछ सैनिक विमानों के ब्रिटेन से भारत लाने के लिये ईराकी प्राधिकारियों से उन्हें हब्बानिया हवाई अड्डे में ठहरने की अनुमति देने की प्रार्थना की गई थी जिससे वे सफाई की आवश्यक सुविधायें प्राप्त कर सकें। भारत सरकार को यह बताया गया कि ईराक किसी भी देश को हब्बानिया हवाई अड्डे का उपयोग नहीं करने देता है तथा उन्हें भारत को यह विशेष रियायत न दे सकने का दुख है। ईराक सरकार बगदाद के असैनिक हवाई अड्डे को हमारे विमानों के उपयोग के लिये देने को तैयार हो गई। पहिले भी हमारे कुछ विमानों ने इसका उपयोग किया है। तबसे बगदाद में हमारे राजदूत ने यह बताया है कि ईराक सरकार ने वहां के असैनिक हवाई अड्डे में कुछ विशेष सहायता प्रस्तुत की है। इस बात को ध्यान में रख कर ब्रिटेन से ईराक के मार्ग से विमानो के भारत आने में कोई विलम्ब या कठिनाई नहीं होगी।

इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण की हत्या का प्रयत्न

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं सभा में एक अन्य विषय का भी उल्लेख करना चाहता हूं। यह दुखांत घटना जकार्ता में परसों हुई थी। यह घटना बहुत बुरी थी क्योंकि इसमें इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण की हत्या का प्रयत्न किया गया था। यह घटना बालकों के समूह में हुई थी। राष्ट्रपति का बच निकलना आश्चर्य की ही बात है। पहिले दस्ती बम से एक सिपाही की मृत्यु हो गयी जो राष्ट्रपति के निकट खड़ा होकर उन्हें सलामी दे रहा था। तीन अन्य हथ गोले फेंके गये। सौभाग्य से राष्ट्रपति बच गये। मेरे विचार से पांच बच्चों की मृत्यु हुई उनमें से एक ग्यारह वर्ष का भारतीय बालक भी था। ४९ बालकों को गम्भीर चोटें आयीं और ९० घायल हुए। मुझे आशा है कि सभा इस घटना पर दुख प्रगट करेगी और उन्हें राष्ट्रपति के बच निकलने पर हर्ष होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हमें इस दुखान्त घटना पर अत्यंत खेद है और हमें राष्ट्रपति के बच निकलने पर अत्यंत प्रसन्नता है।

समितियों के लिए निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव

भारतीय विज्ञान संस्था परिषद, बंगलौर

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)**: मौलाना अबुल कलाम आजाद की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

> "कि भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर की सम्पत्ति तथा निधि के प्रशासन और प्रबन्ध की योजना के खंड १४(२) के उपबन्धों के अनुसरण में तथा उक्त संस्था के विनियम २(१) के अन्तर्गत लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, इस संस्था की परिषद् में तीन वर्ष--१९५८--६० (जिसमें दोनों वर्ष सम्मिलित हैं)--की अवधि के लिये सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य को चुनें।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में